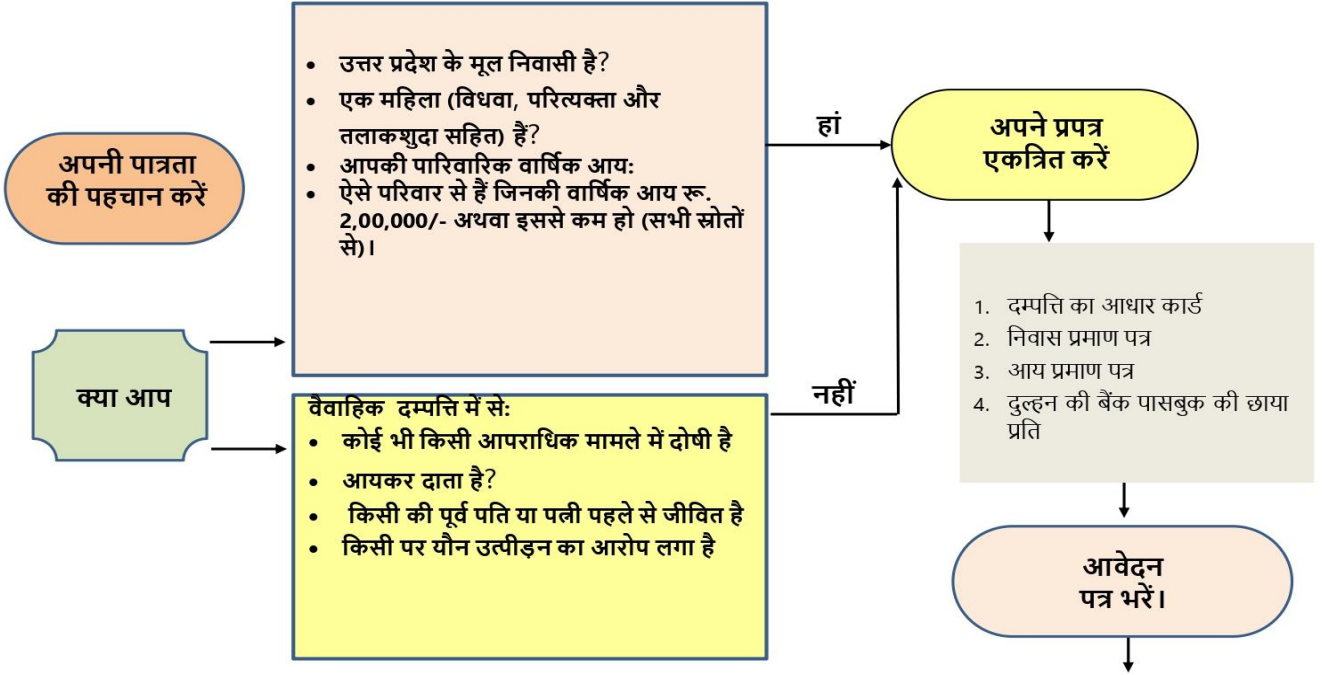


मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना

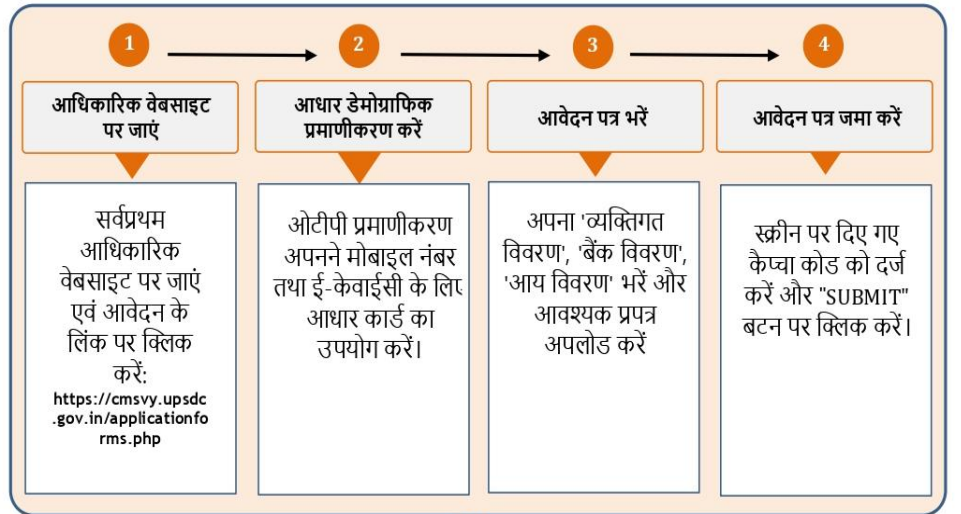
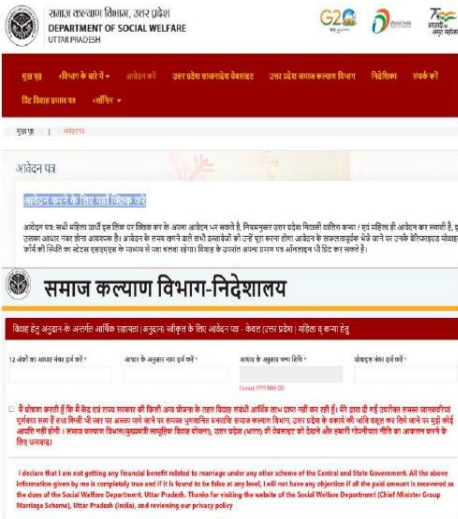


समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश
DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE
UTTAR PRADESH

योजना का मुख्य उद्देश्य साम्प्रदायिक एवं सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने के साथ-साथ विवाह समारोहों में होने वाले अपव्यय को समाप्त करना है।



सामूहिक विवाह योजना हेतु आवेदन किस प्रकार करें?



शुभकामनाएं! आपने आवेदन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली है।

न्यूनतम 10 जोड़ों के पंजीकरण होने के फलस्वरूप स्थानीय शहरी निकाय (नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम) क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत स्तर पर यथावश्यक स्थान पर सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा।

आपके विवाह के पश्चात आप प्राप्त करेंगे:

- अनुदान राशि के रूप में रु. 51,000/-
 - दुल्हन के आधार सम्बद्ध बैंक खाते में सीधे रु. 35,000/- की धनराशि
 - वैवाहिक आवश्यकताएं यथा-परिधान, आभूषण, बर्तन इत्यादि हेतु रु. 10,000/- तथा अन्य मदों में व्यय हेतु रु. 6000/- की धनराशि।